आज नियत दिनांक का अवकाश
जनरल ... की गई ... आदेशों
की पालना में दिनांक ...
को पेश हो
30-05-18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

18-5-18
रतनसिंह

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मोर खैरवाल में पेश हुई। प्रार्थी रायसिंह का मुख्त्यारआम उसका पुत्र रतनसिंह कैम्प में उपस्थित। रतन सिंह को कैम्प में ही सुना गया। पत्रावली मय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के मूल वाद का भी अवलोकन किया गया। मूल वाद हस्तक्षेप एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उपपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक उपपक्षों को इस आशय से ~~...~~ अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम खैरवाल स्थित ख.नं. 1810/0.15, 1811/0.21, 1812/0.34, 1815/0.13, 1816/0.10, 1817/0.10, 1819/0.27, 1820/0.28

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
टोंक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1821/0.38, 1822/0.31, 1823/0.23 तथा 1824/0.21 कुल किता 12 कुल रकबा 2.72 है। भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति अनुसार रखे। प्रकरण फैसल शुमार होकर माल से खारिज हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो एवं मूलवाद के संलग्न हो। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खेड़ा के मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर टोंक (मुहर: सहायक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट टोंक जिला टोंक)	